न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भदेसर जिला चित्तौड़गढ़ राज0

पीठासीन अधिकारी— सुश्री अंजू शर्मा, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या— 318 / 2010 दिनांक 24.12.2020

उनवान

सोजी पिता रूपा बंजारा 65 वर्ष निवासी गाडरीयावास तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ

...............वादी

।। बनाम ।।

1. प्यारचन्द पिता भगवाना बंजारा वयस्क निवासी गाडरीयावास तहसील भदेसर
2. मांगीलाल पिता भगवाना बंजारा वयस्क निवासी गाडरीयावास तहसील भदेसर
3. भैरूलाल पिता भगवाना बंजारा वयस्क निवासी गाडरीयावास तहसील भदेसर
4. मांगीबाई पुत्री भगवाना बंजारा वयस्क निवासी गाडरीयावास तहसील भदेसर
5. मु.धापू बेवा भगवाना बंजारा वयस्क निवासी गाडरीयावास तहसील भदेसर
6. सम्पतदेवी पत्नि अशोक कुमार शर्मा वयस्क निवासी चित्तौडगढ
7. सरकार जरिये तहसीलदार भदेसर।

................प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 व 209 रा0 का0 अधि0

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 जा0दी0

सरांश मामला इस प्रकार है कि हस्तगत प्रकरण जवाबदावा की स्टेज पर नियत था तत्समय प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 06 की ओर प्रकरण में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 जा0दी0 के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि :– वाद पत्र की कलम संख्या 02 में स्वर्गीय भगवाना पिता [illegible] बंजारा [illegible] गाडरीयावास तहसील भदेसर जिला

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2021.03.05 13:00:57 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, जिला–चित्तौड़गढ

Scanned with CamScanner

चित्तौडगढ की आराजी नम्बर 26/8 रकबा 15 बीघा भूमि बैशाख सूदी 11 संवत 2025 को बिल एवज 2500/- रूप्ये में क्रय करने का तथ्य अंकित किया है जबकि तथाकथित विक्रय पत्र अपंजीकृत अनरस्टाम्पड एवं प्रोपर स्टाम्प पर नहीं होने के कारण प्रथम दृष्टया स्वामित्व का हस्तान्तरण नहीं माना जा सकता जिससे वाद पत्र चलने योग्य नहीं रहता है साथ ही ऐसा दस्तावेज का आधार नहीं हो सकता जिससे प्रथम दृष्टया वाद पत्र वादी निरस्त योगय है । विक्रय को विवादित भूमि गैर खातेदारी में दर्ज रेवेन्यू रेकार्ड थी जो हस्तान्तरण के योग्य नहीं थी जिसके कारण भी वाद पत्र चलने योग्य नहीं रहता है । पूर्व में प्रार्थी/वादी द्वारा इसी आराजीयात बाबत घोषणा का एक वाद पत्र दिनांक 28.06.1993 को प्रस्तुत किया था जो निरन्तर कर दिया गया जिससे पुनः वाद पत्र प्रस्तुत करने का वादी को कोई अधिकार प्राप्त नहीं रहता है जिससे प्रस्तुत वाद पत्र रेसज्यूडीकेटा के आधार पर चलने योग्य नहीं रहता है इस कारण भी वाद निरस्त किये जाने योग्य है । वादी द्वारा इन्हीं आराजीयात के संबंध में बाबत निरस्त कराये जाने विक्रय पत्र, घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा एवं अनुबंध की पालना के संबंध में एक वाद पत्र अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश निम्बाहेडा के न्यायालय में सोजी बना प्यारचन्द प्रकरण संख्या 52/2013 जैर कार्यवाही है इसलिए इन्हीं पक्षकारान एवं इन्हीं आराजीयात के संबंध में अलग से वाद पत्र प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नहीं रहता है जिससे वाद पत्र वादी प्रथम दृष्टया ही निरस्त किये जाने योग्य है । अतः उक्त समस्त वर्णित बिन्दुओं से स्पष्ट है कि उपरोक्त कारणों से वाद बाड बाई लॉ होने से चलने योग्य नहीं रहता है जिससे वाद वादी निरस्त फरमाया जावे तथा प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे ।

वादी की ओर से प्रार्थना पत्र का प्रत्युत्तर प्रस्तुत किया गया कि प्रतिवादी ने आधारहीन गलत प्रार्थना पत्र पेश किया है वादग्रस्त जमीन पर वादी का निरन्तर कब्जा 40 वर्ष से भी अधिक समय से चला आ रहा इस पर कुआं खेद रखा है ट्यूबवैल लगा रखा है दौराने दावा प्रतिवादीगण ने प्रतिवादी संख्या 6 केनाम पर विक्रय पत्र जमीन का पंजीयन करा दिया वह विक्रय निरस्त कराने का दावा अपर जिला एवं सेशन कोर्ट निम्बाहेडा में कर रखा जिसमें वादी की शहादत होना है तथा वहां से स्थगन आदेश भी जारी है इस दावे में एडवर्स पजेशन की रिलीफ भी चाही गई है एवं कब्जे में प्रतिवादीगण दखल [illegible] नहीं करें जिसकी स्थायी निषेधाज्ञा की

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2021.03.05 13:00:57 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, जिला-चित्तौड़गढ

सहायता भी चाही गयी है प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 जा.दी. की परिधी में नहीं आता है इसलिए प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र खारीज फरमाया जावे ।

बहस सुनी गई । लायक अधिवक्ता वादी ने कथन किया कि:—

1. वैसाख सुदी 11 सवंत् 2025 को 2500/— रूप्ये में विवादित आराजीयात क्रय की गई है जिसकी लिखापढी बही में है । प्रतिवादीगणों के पिता व पति से खरीदी गई जिस पर वादी ने कुआ व ट्यूबवैल खुदवा लिया है तथा खेती कर रहें है । उसके बाद 1984 में प्रतिवादीगणों ने 2/— के स्टाम्प पर लिखापढी की जिसमें धापू एवं भेरू का अंगूठा है जो स्पष्ट है । मुताबिक रिपोर्ट पटवारी 6.12.12 अनुसार कब्जा भी सोजी का है । तत्पश्चात् स्टे होते हुए भी दिनांक 29.10.2012 को यह भूमि सम्पत देवी प्रतिवादी संख्या 2 को रजिस्ट्री कर दी गई है जिसको निरस्त कराने का दावा 52/2013 ए0डी0जे0 कोर्ट निम्बाहेडा में जेरकार है । प्रतिवादी ने उक्त दावे में भी प्रा0प0 अन्तर्गत धारा 07 नियम 14 का पेश किया गया है जो न्यायालय ए0डी0जे में प्राथमिक स्तर पर ही खारीज कर दिया है । प्रतिवादी को पहले जवाबदावा पेश करना चाहिए जो अब तक प्रस्तुत नहीं किया गया है कोई भी उजर है तो वह अपने जवाबदावे में उठा सकते है । हमने जो दावा पेश किया है वह प्रतिकूल कब्जे के आधार पर एवं विक्रय अनुबन्ध जिसे हम इम्पाउन्ड भी करा चुके है हमारा दावा प्रतिकूल कब्जे के आधार पर लाये है । जिसे सुनने का राजस्व न्यायालय को अधिकार प्राप्त होने से दावा पेश किया है । अतः विपक्षी का प्रा0प0 खारीज किया जावे तथा भारी कोस्ट पर जवाबदावा पेश करने हेतु प्रतिवादी को निर्देशित किया जावे । अपने कथन के समर्थन में वादी की ओर निम्न न्यायिक दृष्टांत के उद्धरण प्रस्तुत किये गये :—

1. डीएनजे 2009(राज)पेज 231
2. डीएनजे 2009(राज)पेज 230
3. डीएनजे 2010(राज)पेज 410
4. डीएनजे 2007—8 एस सी अपील 251
5. डीएनजे 2009(राज)पेज 1258
6. डीएनजे 2007—2 (राज)पेज 1010
7. डीएनजे 2007 —2 (राज)पेज 1002
8. डीएनजे 2009—11 (राज)पेज 332

अधिकारी भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2021.03.05 13:00:57 IST
Reason: SelfAttested

भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़

Scanned with CamScanner

9. डीएनजे 2012 –11 (राज)पेज 62

खण्डन में लायक अधिवक्ता प्रतिवादी ने कथन किया कि प्रस्तुत वाद बार्ड बाई लॉ होने से खारीज किये जाने योग्य है । तथा एग्रीमेन्ट टू सेल के आधार पर घोषणा चाही गई है । इसके लिए वादी की ओर अनुबन्ध की पालना कराये जाने हेतु ए0डी0जे0 कोर्ट निम्बाहेडा में प्रकरण दाखिल कराया गया है जिसके प्रकरण संख्या 52/2013 होकर माननीय ए0डी0जे0 न्यायालय द्वारा दिनांक 13.09.2018 को खारीज कर दिया गया है । इसी प्रकार वादी ने पूर्व में भी घोषणा का दावा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेडा में प्रस्तुत किया गया था जिसके प्रकरण संख्या 160/93 उनवान सोजी बनाम प्यारचन्द जो साक्ष्य वादी की स्टेज पर नियत था वह भी दिनांक 27.2.2001 को अदम हाजरी अदम पैरवी में खारीज हो चुका है । यह यह उल्लेख करना भी आवश्यक हो जाता है वादी सोजी ने भगवाना का गोदी पुत्र बनकर उसका नामान्तरकरण अपने नाम कराने हेतु पंचायत कूथना में भी प्रयास किया गया वह ना0क0 205 दिनांक 24.01.80 को ग्राम पंचायत द्वारा खारीज कर दिया गया है । वादी जब एक बार न्यायालय से दावा प्रस्तुत कर चुके है तो बार बार विभिन्न तरीकों से नवीन वाद उसी न्यायालय में प्रस्तुत कर रहें है । तथा अनुबन्ध की पालना कराये जाने की क्षेत्राधिकारिता राजस्व न्यायालय को नहीं है । पंजिकृत दस्तावेज के आधार पर राईट्स व टाइटल हमारा है । इसलिए प्रकरण विधि विरूद्व होकर वार्ड बाई लॉ होने से प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे तथा वाद खारीज फरमाया जावें । अपने कथन के समर्थन में आर0आर0टी 2016(1) पेज नम्बर 723 का उद्वरण पेश किया गया ।

प्रस्तुत तर्को पर विचार किया किया तथा प्रस्तुत न्यायिक उद्वरण एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख अवलोकन से न्यायालय का मत है वादी द्वारा राजस्व न्यायालय से अनुतोष प्राप्त करने हेतु पूर्व में घोषणा का दावा 160/93 उनवान सोजी बनाम प्यारचन्द प्रस्तुत किया गया था जो साक्ष्य वादी स्टेज पर अदम हाजरी अदम पैरवी में दिनांक 27.2.2001 को खारीज हो चुका है । वादी चाहते तो उसी वाद को पुनः

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2021.03.05 13:00:57 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, जिला–चित्तौड़गढ़

Scanned with CamScanner

संस्थित कराने का प्रयास करते जो नहीं किया तथा उन्हीं तथ्यों पर आधारित नवीन वाद प्रस्तुत किया गया है जो उचित नहीं है तथा वादी द्वारा माननीय न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश संख्या–2 निम्बाहेडा में निरस्त कराने विक्रय पत्र घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा तथा अनुबन्ध की पालना कराने हेतु प्रस्तुत वाद दिनांक 13.09.2018 को खारीज कर दिया गया अब इस न्यायालय में नवीन वाद प्रस्तुत कर अनुबन्ध की पालना एवं कराने एवं प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी की घोषणा चाहते है । जहां पक्षकार एक ही अनुतोष प्राप्त करने हेतु वाद संस्थित कराते है जिसका न्यायालय द्वारा निस्तारण कर दिया जाता है तो पुनः उन्हीं तथ्यों को उठाकर उसी न्यायालय में नवीन वाद संस्थित करा अनुतोष चाहते है जो विधि के सिद्वान्त से विबंधित होकर बार्ड बाई लॉ माना जा सकता है ।

अतः प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 स्वीकार योग्य किया जाता है ।

निर्णय खुले न्यायालय टंकित कराया जाकर सुनाया गया ।

(अंजू शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
भदेसर,

Signature Not Verified

Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2021.03.05 13:00:57 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner